संख्याः 22/2020/बी-2-67/दस-2020-एम-01/2020

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग/दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव
नगर विकास/ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज/श्रम/खाद्य एवं रसद/
समाज कल्याण/महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः 21 मार्च, 2020

विषयः विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं जिससे दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने भरण पोद्राण की समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना है।

2- ऐसे दैनिक वेतनभोगियों तथा मजदूरों आदि को भरण पोषण हेतु सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मा0 वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मंत्री समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक-20 मार्च, 2020 को अपनी रिपोर्ट मा0 मुखयमंत्री जी को प्रस्तुत की गयी जिसकी प्रति संलग्न है। समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः-

"समिति की संस्तुतियों में से क्रमांक 1 को छोड़कर शेष को अनुमोदित किया जाता है।

क्रमांक 2 से 7 पर अंकित संस्तुतियों के अनुसार सहायता देने के बाद भी ऐसे व्यक्ति बच सकते हैं, जिनके पास अपने परिवार के भरण-पोषण की सुविधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी की समिति ऐसे व्यक्तियों की परिस्थितियों

की जांच कर सहायता हेतु अपनी संस्तुति जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की समिति इस प्रकार की संस्तुति जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे पात्र पाए गए सभी जरूरत मन्द व्यक्तियों को 1000 रूपये प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

समिति की अनुमोदित संस्तुतियों व उपर्यक्तानुसार दी जाने वाली सहायता से सम्बन्धित प्रक्रियाओं के शासनादेश तत्काल जारी कराए जाएं तथा समुचित वित्तीय व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए।"

3- राज्य सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन के सभी सम्बन्धित विभाग विस्तृत शासनादेश जारी करने की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 24 मार्च, 2020 तक सुनिश्चित करेंगे।

4- उपरोक्त निर्णय के अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन को नोडल विभाग नामित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता धनराशि राजस्व विभाग के बजट से जिलाधिकारियों के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला स्तर पर अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की निरन्तर समीक्षा मुखय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर की जायेगी।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः संख्याः 22/2020/बी-2-67/दस-2020-एम-01/2020 तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
प्रमुख सचिव, मुखयमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

कोविड-19 के संबंध में

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में दैनिक रूप से काम करने वाले प्रभावित मजदूरों आदि के भरण पोषण के लिये सहायता हेतु

मा0 वित्त मंत्री जी की

अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट

प्रस्तावना

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को विश्ववव्यापी महामारी घोद्गिात किा गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निर्णय लिये गये हैं, जिनमें द्रौक्षिक संस्थानों, सिनेमा हालों, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल आदि को बन्द करना द्राामिल है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों तथा समाज के ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णतया इन व्यवसायिक गतिविधियों पर निर्भर होते हैं, के सामने भरण पोद्गाण की बड़ी समस्या है। ऐसे दैनिक वेतनभोगी जैसे रिक्शे वाले, मजदूरों आदि को भरण पोद्गाण हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्दे ◌ य से प्रदे ◌ ा के मा0 मुखयमंत्री जी द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2020 को तीन सदस्यीय समिति का गठन निम्नवत् किया गयाः-

1. मा0 वित्त मंत्री जी अध्यक्ष
2. मा0 कृषि मंत्री जी सदस्य
3. मा0 श्रम मंत्री जी सदस्य

अपर मुख्य सचिव, वित्त को समिति का सचिव नियुक्त किया गया।

समिति के गठन का आदेश संलग्नक-1 पर दृष्टव्य है। समिति से अपेक्षा की गयी है कि विषय की तात्कालिता के दृष्टिग तीन दिन में अपनी स्पष्ट आख्या एवं एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

समिति की बैठकें

2- समिति द्वारा अपनी कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करते हुये दिनांक 18 मार्च, 2020 के 12:30 बजे अपराह्न में प्रथम बैठक तथा दिनांक 18 मार्च, 2020 को ही 05:45 बजे सांय द्वितीय बैठक आयोजित की गयी। समिति की तृतीय व अन्तिम बैठक दिनांक 19 मार्च, 2020 को 06:00 बजे सांय आयोजित की गयी।

समिति के समक्ष चुनौतियां एवं सुझाव

3- समिति के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि कोविड-19 के कारण विभिन्न क्षेत्रों में दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों एवं अन्य प्रभावित जरूरतमंद श्रमिकों जिनको

सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी, उनका चिन्हांकन किस प्रकार किया जायेगा ? इस सम्बन्ध में समिति के समक्ष विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के विचार रखे गये।

4- खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश जरूरतमंद परिवार के पास राशन कार्ड उपलब्ध हैं जिसके आधार पर इन्हें चिन्हित किया जा सकता है।

श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि असंगठित क्षेत्र में कुल 20.37 लाख श्रमिकों की सूची विभाग के पास उपलब्ध हैं, जिसमें से 5.97 लाख लोगों के बैंक एकाउण्ट भी खुले हुये हैं।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मनरेगा के अन्तर्गत लगभग 88 लाख जाब कार्ड धारक प्रदेश में हैं जिनका बैंक खाता विवरण विभाग के पास उपलब्ध है।

5- समिति के समक्ष यह विचार भी लाया गया कि ऐसे स्ट्रीट वेण्डर, रिक्शा चालक, साप्ताहिक बाजार लगाने वाले घुमन्तू प्रकृति के श्रमिक भी हैं जिनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं है कि यह श्रम विभाग में पंजीकृत हैं अथवा नहीं। यह भी ज्ञात नहीं है कि इनके पास राशन कार्ड या मनरेगा का जाब कार्ड उपलब्ध है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इनको निम्न सात वर्गों में विभाजित कर चिन्हित किये जाने की कार्यवाही प्रत्येक जनपद में की जा सकती हैः-

1. पटरी दुकानदार।
2. रिक्शे चालक, किराये पर रिक्शे चलाने वाले, ट्राली चालक आदि।
3. नगरों में लगने वाली श्रम मण्डी जहां घुमन्तू प्रकृति का कार्य करने वाले कर्मी रोज आते हैं।
4. टैम्पो, आटो, रिक्शे चलाने आदि चलाने वाले चालकों की संखया।
5. फल मण्डी, सब्जी मण्डी आदि में पल्लेदार, ठेलावाले बड़ी संखया में कार्य करते हैं।
6. साप्ताहिक बाजार लगाने वाले दुकानदार एवं कार्यरत मजदूर।
7. शहरों में एक्का, तांगा चलाने वाले।

ऐसे सभी श्रमिकों का कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है परन्तु प्रदेश में ऐसे लगभग 15.60 लाख व्यक्तियों के होने का अनुमान है।

6- समिति के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया कि मॉल, दुकानों, उद्योग, कारखाने, छोटे दुकान, ढाबा आदि में कार्यरत् असंगठित क्षेत्र के कार्मिक जो दिहाड़ी पर कार्य करते हैं, इनके बन्द होने की स्थिति में इनका वेतन आदि सम्बन्धित स्वामियों द्वारा न रोका जाय।

7- समिति द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार किया गया कि जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करायी जाय अथवा डी.बी.टी. के माध्यम से एक निश्चित धनराशि हस्तान्तरित की जाय।

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अन्त्योदय एवं गृहस्थ पात्र सभी राशन कार्ड धारक को नि:शुल्क राशन का वितरण किया जा सकता है। समिति के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन की दुकान से खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। इस हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त, कोटेदार को उपलब्ध करायेंगे तथा प्रत्येक राशन की दुकान पर इसका व्यवस्थित वितरण भी सुनिश्चित करेंगे।

8- समिति के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया कि सर्वप्रथम सबसे अधिक जरूरतमंद वर्ग को ही लाभ दिया जाना चाहिये। इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर इनका चिन्हांकन कर इनको सहायता उपलब्ध कराये जाने पर सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

समिति की संस्तुतियां

1. समिति द्वारा बैठक में उठाये सभी सुझावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया जिसके उपरान्त प्रदेश् में जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न संस्तुतियां की जाती हैः-

   प्रदेश की 58,906 ग्राम पंचायतों में आर्थिक रूप से विपन्न एवं जरूरतमंद परिवार को चिन्हित करते हुये 1,000 रूपये प्रति माह की सहायता उपलब्ध करायी जाय। पारदर्शिता की दृष्टि से ऐसे परिवारों का चयन खण्ड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। सहायता की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(कार्यवाहीः पंचायती राज विभाग)

2. प्रदेश के श्रम विभाग विभाग में 20.37 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं जिनमें 5.97 लाख श्रमिकों के बैंक खाते विभाग के पास उपलब्ध हैं। श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग में 'Labour Cess Fund' सृजित है जिससे इन पंजीकृत श्रमिकों को धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है। बैठक में निर्णीत हुआ कि श्रम विभाग 5.97 लाख श्रमिकों के बैंक खाते में 1000 रूपये प्रतिमाह डीके माध्यम .टी.बी. से हस्तान्तरित करेंगे।अवशेष श्रमिक का बैंक खाता का डेटाबेस श्रम विभाग तत्काल तैयार कर इन अवशेष श्रमिकों को भी 1000 रूपये की सहायता उपलब्ध करायी जाय। इस पर लगभग 203 करोड़ रूपये के व्यय भार की सम्भावना है जिसका वित्त पोषण श्रम विभाग द्वारा 'Labour Cess Fund' से किया जायेगा।

(कार्यवाहीः श्रम विभाग)

3-शहर में घुमन्तू प्रकृति जैसे ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी अनुमानित संखया प्रदेश में लगभग 15 लाख है, का बैंक खाता विवरण सहित डेटाबेस नगर विकास विभाग द्वारा तैयार किया जाय। इस हेतु प्रत्येक जिले में ए.डी.एम. स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाय तथा यह कार्य 15 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय।

ऐसे सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के उपरान्त इनके खाते में भी प्रतिमाह 1,000 की धनराशि हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जाय जिसपर लगभग 150 करोड़ रूपये का व्यय भार अनुमानित है। शहरी क्षेत्र के ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनका राशन कार्ड इनके निवास के पते पर प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एवं डी.एस.ओ. के माध्यम से खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाहीः नगर विकास, खाद्य एवं रसद, समस्त जिलाधिकारी)

4-कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल आदि को अग्रिम आदेशों तक बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिससे इन संस्थानों आदि में कार्यरत श्रमिकों/कार्मिकों के समक्ष भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी बन्द

5-द्रौक्षिक संस्थान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल, दुकान आदि के स्वामियों को निर्देशित किया जाये कि प्रभावित श्रमिकों/कार्मिकों को उनके नियोजकों द्वारा प्रतिष्ठान की बन्दी अवधि में 'Paid Leave' प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा शासनादेश/अधिसूचना जारी किया जाय।

(कार्यवाहीः श्रम विभाग)

6- मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में किये जा चुके कार्य के सन्दर्भ में भारत सरकार से लगभग 556 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त न होने के कारण मनरेगा जाब कार्ड धारकों को भुगतान नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार से सम्पर्क कर धनराशि प्राप्त कर जाब कार्ड धारकों को भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर माह मार्च, 2020 में करायें।

(कार्यवाहीः ग्राम्य विकास विभाग)

7- प्रदेश में अन्त्योदय योजना, मनरेगा, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूर की स्थित निम्नवत् हैः-

		संख्या (लाख)
1.	अन्त्योदय ग्रामीण क्षेत्र	37.51
2.	अन्त्योदय शहरी क्षेत्र	3.43
3.	मनरेगा जाब कार्ड धारक	88.40
4.	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	20.37
5.	दिहाड़ी मजदूर (अनुमानित)	15.60
योग		165.31

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रतिकार्ड 85 रूपये पर 34.80 करोड़ रूपये तथा मनरेगा, निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूर को प्रति कार्ड 48 रूपये पर कुल 59.70 करोड़ रूपये का व्यय भार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर आयेगा। इस प्रकार कुल 94.50 करोड़ रूपये का व्यय भार अनुमानित है।

समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया कि प्रदेश के सभी लगभग 1.65 करोड़ जरूरतमंदों को एक माह का नि:शुल्क राशन माह अप्रैल में उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी तैयारियां विभागीय स्तर पर पूर्ण कर ली जायें। भविष्य में स्थिति का आंकलन करने के उपरान्त इस बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाहीः खाद्य एवं रसद विभाग, समस्त जिलाधिकारी/नगर आयुक्त)

प्रदेश में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नानुसार लाभार्थियों को देय पेंशन का वितरण त्रैमासिक रूप में किया जाता हैः-

	योजना	लाभार्थी संखया (लाख)
1.	वृद्धावस्था पेंशन	46.97
2.	दिव्यांगजन संशक्तीकरण पेंशन	10.76
3.	निराश्रित विधवा के भरण पोषण हेतु	26.10
योग		83.83

उक्त पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभार्थियों को दो माह का अग्रिम पेंशन माह अप्रैल में दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(कार्यवाहीः समस्त सम्बन्धित विभाग)

8. समिति यह भी संस्तुति करती है कि उपर उल्लिखित संस्तुति संख्या–2 के अतिरिक्त अन्य सभी कार्ययोजना के लिये राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया जाय। राजस्व विभाग की ग्रान्ट से जिलाधिकारियों के माध्यम से समस्त जरूरतमंद श्रमिक आदि को सहायता हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(स्वामी प्रसाद मौर्य)	(सूर्य प्रताप शाही)	(सुरेश कुमार खन्ना)
श्रम मंत्री	कृषि मंत्री	वित्त मंत्री
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

Scanned with Cam

संलग्नक–1

115/VIS/CM/2020

संख्या- जो- 154 /सी.एम.-4/2020

योगी आदित्यनाथ

मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

लोक भवन,
लखनऊ - 226001

दिनांक : 17-03-2020

17/03/2020
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निर्णय लिए गए हैं, जिनमें शैक्षिक संस्थानों, सिनेमा होलो, मल्टीप्लेक्स, जिम, तरणताल आदि को बन्द करना आदि शामिल है।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों तथा समाज के ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णतया इन व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर होते हैं, के सामने भरण पोषण का संकट उत्पन्न होने की सम्भावना है। ऐसे दैनिक वेतनभोगी जैसे रिक्शेवाले, मजदूरों आदि को भरण पोषण हेतु सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करने के सम्बन्ध में निम्न समिति गठित की जाती है:-

1-	मा0 वित्त मंत्री जी	अध्यक्ष
2-	मा0 कृषि मंत्री जी	सदस्य
3-	मा0 श्रम मंत्री जी	सदस्य

अपर मुख्य सचिव, वित्त इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

समिति से अपेक्षा है कि विषय की तात्कालिकता के दृष्टिगत तीन दिन में अपनी सुस्पष्ट आख्या व एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

17-03-2020
(योगी आदित्यनाथ)
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश।

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- मा0 वित्त मंत्री जी।
2- मा0 कृषि मंत्री जी।
3- मा0 श्रम मंत्री जी।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त।

17-03-2020

Scanned with Cam